



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-टीकमगढ़

द्वारा/टीकमगढ़/भू/2017/2856

द्वारा/टीकमगढ़/भू/2017/2856

- 1- द्वारका प्रसाद पुत्र श्री जगताराम कुर्मी
 - 2- राम सुमरनी पुत्र श्री जगताराम कुर्मी
 - 3- रघुवीर प्रसाद पुत्र श्री जगताराम कुर्मी
- निवासीगण - ग्राम तरीचरकला
तहसील निवाडी जिला - टीकमगढ़
(म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

कल्लू पुत्र श्री भूरा कुशवाह

निवासी - ग्राम तरीचरकला तहसील

निवाडी जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....अनावेदक

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचरकला द्वारा प्रकरण क्रमांक 56/अ-12/2016-17 में पारित आदेश तथा पंचनामा दिनांक 01.06.2017 के विरुद्ध म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

24/8/17

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम तरीचरकला में स्थित भूमि खसरा नं. 913/3/2, 914/1, 917, 913/5/1 रकवा क्रमशः 0.106, 0.223 एवं 0.206 है0 भूमि का सीमांकन कराये जाने हेतु द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया।
2. यहकि, उपरोक्त आवेदन पत्र को राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 56/अ-12/2016-17 पर पंजीबद्ध कर चौहदी कृषको को सूचना पत्र दिये जाने का आदेश पारित किया एवं मौके पर सीमांकन हेतु तारीख पेशी दिनांक 01.06.2017 नियत की गयी। उक्त दिनांक का सूचना पत्र मेडिया कृषको को नहीं दिया गया और न ही उनके समक्ष सीमांकन ही किया

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2856

द्वारकाप्रसाद विरूद्ध कल्लू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचरकला के प्रकरण क्रमांक 56/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 01-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी तरीचरकला को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी तरीचरकला के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के.जैन) सदस्य</p> <p>8/2/2019</p>